



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246719
CG-DL-E-21062023-246719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

No. 363]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 452(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (iii), उपधारा (3) के दूसरे परंतुक और उपधारा (6) तथा धारा 115खकड की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,--

(क) नियम 2खख में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी, जो ऐसा निर्धारित है,--

(i) जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;

(ii) जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है,

वह केवल उपनियम (1) के उपखंड (क) से उपखंड (ग) तक और जिस सीमा तक उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी के क्र. सं. 11 पर है और यदि कोई इसमें विनिर्दिष्ट की गई है, तो उसके अधीन रहते हुए, इसमें उल्लिखित भत्तों के संबंध में छूट प्राप्त करने का पात्र होगा।”;

(ख) नियम 3 के उपनियम (7) के खंड (iii) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि संदत्त वाऊचर के माध्यम से नियोजक द्वारा प्रदान किए गए निःशुल्क भोजन और गैर-एल्कोहालिक पेय के संबंध में पहले परंतुक के उपबंध किसी कर्मचारी पर, जो एक ऐसा निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, लागू नहीं होंगे।”;

(ग) नियम 5 के उपनियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु किसी आस्ति समूह के अवक्षयण के संबंध में धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन मोक निम्नलिखित मामलों में ऐसी आस्ति के समूह के अवलिखित मूल्य के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,--

- (i) कोई घरेलू कंपनी, जिसने धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन या धारा 115खकक की उपधारा (5) के अधीन या धारा 115खकख की उपधारा (7) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या
- (ii) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या
- (iiक) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यष्टियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है ; या
- (iii) भारत में निवासी कोई सहकारी समिति, जिसने धारा 115खकघ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या
- (iv) भारत में निवासी कोई सहकारी समिति, जिसने धारा 115खकड की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;”;

(ख) तीसरे परंतुक में, “धारा 115खकग के प्रयोजनों के लिए” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 115खकग [जैसी वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसमें संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के प्रयोजनों के लिए” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि जहां आय, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, 1 अप्रैल, 2023 को आय आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य, ऐसे अवक्षयण द्वारा बढ़ाया जाएगा, जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के कारण हुआ माना जा सकता है और धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन मुजरा करने के लिए अनुज्ञात नहीं है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :--

- (i) निर्धारिती ने 1 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है ; और

- (ii) आस्ति समूह के संबंध में ऐसा अवक्षयण मोक है, जिसे 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व, पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, और जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों के परिणामस्वरूप है।”;

(घ) नियम 21कछ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘21कछक. धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग— (1) व्यक्ति, व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब होने पर, या व्यक्तियों का कोई संगठन (सहकारी सोसाइटी से अन्यथा) या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, द्वारा धारा 115खकग की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विकल्प का प्रयोग किए जाने के लिए, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए,—

(क) कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पूर्व प्ररूप 10झडक में ;

(ख) खंड (i) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आय की विवरणी में ।

(2) धारा 115खकग की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन विकल्प की वापसी भी प्ररूप 10झडक में होगी ।

(3) प्ररूप 10झडक को अंकीय हस्ताक्षर या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

(क) प्ररूप 10झडक के प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा ;

(ख) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उपनियम (3) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के सृजन के डाटा संरचना, मानकों और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(ग) इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड” से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजनों के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है।”;

(ङ) मूल नियम के परिशिष्ट में, प्ररूप 10झड के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप संख्या 10 झडक

[नियम 21 कछक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग की उप-धारा (6) के खंड (झ) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन या धारा 115खकग की उप-धारा (6) के उपबंध के अधीन विकल्प की वापसी

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....
.....

क्र.सं.																						
1	नाम																					
2	पैन																					
3	धारा 115 खकग की उप धारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की स्थिति																					
4	निर्धारण वर्ष जिसके लिए प्ररूप प्रस्तुत किया जा रहा है	वर्ष -वर्ष																				
5	धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के अधीन प्रदान की गई व्यवस्था से बाहर निकलना या फिर से प्रवेश करना	बाहर निकलना/फिर से प्रवेश करना																				
6	यदि 5 में इनपुट के अनुसार पुनः प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले प्रयोग किए गए विकल्प का विवरण प्रदान करें।	कार्य करने की तारीख प्ररूप संख्या 10झडक में धारा 115ख ग की उप-धारा (6) के खंड (i) के अधीन बाहर निकलने का विकल्प																				
		पहला निर्धारण वर्ष जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था।																				
		डीडीवर्ष/महीना/.....20																				
7	क्या अंतर्राष्ट्रीय में कोई इकाई है: वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), जैसा कि धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट है (यदि पंक्ति 5 के अनुसार फिर से प्रवेश कर रहा है)	हां/नहीं/																				
8	यदि हाँ तो 7 में, आईएफएससी में इकाइयों के बारे में विवरण प्रदान करें: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभ की संख्या जोड़ें)	<table border="1"> <tr> <td></td><td>इकाई 1</td><td>इकाई 2</td><td>इकाई 3</td></tr> <tr> <td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr> <tr> <td>इकाई का नाम</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>इकाई का पता</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>संचालित इकाई की प्रकृति क्रियाकलाप</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3	(1)	(2)	(3)	(4)	इकाई का नाम				इकाई का पता				संचालित इकाई की प्रकृति क्रियाकलाप			
	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
इकाई का नाम																						
इकाई का पता																						
संचालित इकाई की प्रकृति क्रियाकलाप																						

उपक्रम

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(पूरा नाम और स्पष्ट अक्षरों में) जिनके पास पैन है..... व्यक्ति के मामले में) घोषणा करते हैं कि सर्वोत्तम मेरी जानकारी और विश्वास है कि उपरोक्त प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं अपनी हैसियत से..... (पदनाम) ऐसा कथन कर रहा हूं और मैं यह घोषणा करने और यह प्ररूप भरने के लिए सक्षम हूं।

मैं, यह और घोषणा करता हूं कि क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले. क्रम सं. 1 विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय, क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के दौरान "कारबार या वृत्ति से लाभ और प्राप्ति" शीर्ष के अधीन है।

मैं, अधिनियम की धारा 115खकग की उप-धारा (1क) को पुनः प्रवेश करने की घोषणा भी करता हूं. जो क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 115खकग की उप-धारा (1क) से बाहर निकलने के विकल्प के लिए अपात्र होगा।

स्थान :

तारीख:

आपका,
हस्ताक्षर.....*

नाम.....

पद का नाम..

पता.....

*अधिनियम की धारा 140 के उपबंध के अनुसार धारा 2 के खंड (31) के खंड (vii) अनुसार व्यक्ति/एचयूएफ/व्यक्तियों के संघ (एक सहकारी समिति के अलावा अन्य)/व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं/ उप-खंड में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर।

टिप्पण : व्यक्ति की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

क्र.सं.		कोड
(i)	व्यक्ति	1
(ii)	हिंदू अविभाजित कुटुंब (एचयूएफ)	2
(iii)	व्यक्तियों का संघ (एक सहकारी समिति के अलावा)	3
(iv)	व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं	4
(v)	अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	5 ¹

[अधिसूचना सं. 43/2023/फा. सं. 370142/15/2023-टीपीएल]

कमलेश चन्द्र वाष्णेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 432(अ) तारीख 12 जून, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (iii) of sub-section (2), second proviso to sub-section (3) and sub-section (6) of section 115BAC, sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 115BAE read with section 295 the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules),—

(a) in rule 2BB, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), an employee, being an assessee, -

(i) who has exercised option under sub-section (5) of section 115BAC; or

(ii) whose income is chargeable to tax under sub-section (1A) of section 115BAC,

shall be entitled to exemption only in respect of the allowances mentioned in sub-clauses (a) to (c) of sub-rule (1) and at serial no. 11 of the Table below sub-rule (2) to the extent and subject to the conditions, if any, specified therein.”;

(b) in rule 3, in sub-rule (7), in clause (iii), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that the provisions of the first proviso in respect of free food and non-alcoholic beverage provided by the employer through paid voucher shall not apply to an employee, being an assessee, who has exercised an option under sub-section (5) of section 115BAC or whose income is chargeable to tax under sub-section (1A) of section 115BAC.”;

(c) in rule 5, in sub-rule (1) -

(a) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the allowance under clause (ii) of sub-section (1) of section 32 in respect of depreciation of any block of assets shall not exceed forty per cent. of the written down value of such block of assets in case of -

- (i) a domestic company which has exercised option under sub-section (4) of section 115BA, or under sub-section (5) of section 115BAA, or under sub-section (7) of section 115BAB; or
- (ii) an individual or a Hindu undivided family which has exercised option under sub-section (5) of section 115BAC; or
- (iia) an individual or a Hindu undivided family, or an association of persons (other than a co-operative society) or a body of individuals, whether incorporated or not, or an artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 whose income is chargeable to tax under sub-section (1A) of section 115BAC; or
- (iii) a co-operative society resident in India which has exercised option under sub-section (5) of section 115BAD; or
- (iv) a co-operative society resident in India which has exercised option under sub-section (5) of section 115BAE;”;

(b) in the third proviso, for the words, figures and letters “for the purposes of section 115BAC”, the words, figures, letters and brackets “for the purposes of section 115BAC [as it stood immediately before its amendment by the Finance Act, 2023]” shall be substituted;

(c) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that, where income is chargeable to tax under sub-section (1A) of section 115BAC, the written down value of the block of asset as on the 1st day of April, 2023 shall be increased by such depreciation which is attributable to clause (iia) of sub-section (1) of section 32 and which is not allowed to be set off under sub-clause (a) of clause (ii) of sub-section (2) of section 115BAC if both the following conditions are satisfied, namely: -

- (i) the assessee has not exercised option under sub-section (5) for any previous year relevant to the assessment year beginning on or before the 1st day of April, 2023; and
- (ii) there is a depreciation allowance in respect of a block of assets which has not been given full effect to prior to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2024, and is attributable to the provisions of clause (iia) of sub-section (1) of section 32.”;

(d) after rule 21AG, the following rule shall be inserted, namely:-

“21AGA. Exercise of option under sub-section (6) of section 115BAC.-(1) The option to be exercised in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 115BAC by a person, being an individual or Hindu undivided family, or an association of persons (other than a co-operative society) or a body of individuals, whether incorporated or not, or an artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2024, shall be, -

- (a) in Form No. 10-IEA on or before the due date specified under sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income for such assessment year, in the case of a person having income from business or profession;
- (b) in the return of income to be furnished under sub-section (1) of section 139 for such assessment year, in the case of a person not having income from business or profession as referred to in clause (i).

(2) The withdrawal of option under the proviso to sub-section (6) of section 115BAC shall also be in Form No. 10-IEA.

(3) Form No. 10-IEA shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, -

- (a) specify the procedure for furnishing of Form No. 10-IEA;
- (b) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (3), for verification of the person furnishing the said Form; and
- (c) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form so furnished.

Explanation.—For the purposes of this rule "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the Form as per the data structure and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) as the case may be."

(e) In the principal rules, in the Appendix, after Form No. 10IE, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM No. 10-IEA

[See rule 21AGA]

Application for exercise of option under clause (i) of sub-section (6) of section 115BAC or withdrawal of option under the proviso to sub-section (6) of section 115BAC of the Income-tax Act, 1961

To,

The Assessing Officer

.....

.....

Sl.No.						
1.	Name	:				
2.	PAN	:				
3.	Status of the person referred to in sub-section(1A) of section 115BAC	:				
4.	Assessment year for which the form is being furnished	: yyyy - yy				
5.	Whether opting out of or re-entering the regime provided under sub-section (1A) of section 115BAC	: Opting out/ Re-entering				
6.	If re-entering as per inputs in 5, provide details of the option exercised earlier.	<table border="1"> <tr> <td>Date of exercising the option for opting out under clause (i) of sub-section (6) of section 115BAC in Form No. 10IEA</td><td>First assessment year for which the option was exercised.</td></tr> <tr> <td>Dd/mm/yyyy</td><td>20....</td></tr> </table>	Date of exercising the option for opting out under clause (i) of sub-section (6) of section 115BAC in Form No. 10IEA	First assessment year for which the option was exercised.	Dd/mm/yyyy	20....
Date of exercising the option for opting out under clause (i) of sub-section (6) of section 115BAC in Form No. 10IEA	First assessment year for which the option was exercised.					
Dd/mm/yyyy	20....					
7.	Whether having any Unit in International Financial Services Centre (IFSC), as referred to in sub-section (1A) of section 80LA (if re-entering as per row 5)	: Yes/No				

8.	If yes in 7, provide details regarding Units in IFSC: (Add number of columns depending on number of Units)		Unit 1	Unit 2	Unit 3
		(1)	(2)	(3)	(4)
		Name of Unit			
		Address of Unit			
		Nature of activities undertaken in Unit			

Undertaking

I(Name in full and in block letters) having PAN.....son/daughter/wife of..... (in case of individual) do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated in the Form above is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as.....(designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this Form.

I further declare that the person referred to at serial no. 1 having PAN at serial no. 2 has income under the head “Profits and gains from business or profession” during the assessment year referred to at serial no. 4.

I also declare re-entering sub-section (1A) of section 115BAC of the Act shall render the person referred to at serial no. 1 having PAN at serial no. 2 ineligible for opting out of sub-section (1A) of section 115BAC.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature*.....

Name.....

Designation.....

Address.....

*Signature of the person competent to verify the return of income of the Individual/ HUF / association of persons (other than a co-operative society)/body of individuals, whether incorporated or not/ an artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 in accordance with the provisions of section 140 of the Act.

Note: For status of the person one of the following codes to be selected:

Sl.No.		Code
(i)	Individual	1
(ii)	Hindu Undivided Family (HUF)	2
(iii)	association of persons (other than a co-operative society)	3
(iv)	Body of individuals, whether incorporated or not	4
(v)	An artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 of the Act	5”.

[Notification No. 43/2023/F. No. 370142/15/2023-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 432 (E) dated the 12th June, 2023.